न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–66 / 2022 दायर दिनांक: 24.05.2022

GCMS NO:- 2022/129 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

छोटूलाल आ0 गोमदा जाति मीना नि0 देवपुरा तहसील नैनवॉ। (कुल 6)

– प्रार्थीगण

बनाम

हरनाथ आ0 रामकिशन जाति जाट नि0 देवपुरा तहसील नैनवॉ। (कुल 16)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार।

निर्णय दिनांक 29.09.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देवपुरा प0म0 गुढासदावर्तिया मे भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 0.7928 हैक्टयर स्थित है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 पोखर के सम्मिलित खातेदारी की भूमि है जो बाहमी विभाजन मे प्रार्थी छोटू के हिस्से मे आई है।

यह कि ग्राम देई से चलकर गुढासदावर्तिया जाने वाली सडक से फटकर खसरा नम्बर 248 के उत्तरी पश्चिमी कोने बने मकान प्रत्यार्थी पोखर के मकान से पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 245 जो कि प्रत्यार्थी संख्या 4 लगायत 8 की सम्मिलित खातेदारी भूमि है, के पूर्वी मेड पर होकर खसरा नम्बर 248 मे जाता है। यह रास्ता वर्षो से बना हुआ है जिसे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। यह रास्ता अनाधिकाल से चला आ रहा है जो 12 फूट चौडा है जिस पर होकर प्रार्थीगण अपने कृषि यंत्रों को लाने ले जाने एवं आवागमन हेतु काम मे लेते है।

यह कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 8 ने एक गिरोह बना रखा है जो बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमादा है और करीब 15.4.2022 को बाड लगाकर तार खेंच कर रास्ता अवरूद्व कर दिया। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को 15 फीट चौडा करवाये एवं रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाये जिसके लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि भी जमा करवाने को तैयार है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्वारा वकालातनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 248 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ